

थाना कोतवाली गाजियाबाद पुलिस द्वारा किराना मण्डी के एक गोदाम में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 39 पेटी शैम्पू पेन्टिन, बाडीलोषन पॉडस व लक्स साबुन व एक टैम्पू मैजिक यूपी 15 ए0टी0 3992 व चार अदद चाकू नाजायज बरामद:—थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2019 को समय करीब 09.05 बजे चार नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 10 दिन पहले किराना मण्डी के एक गोदाम में हुई चोरी का सामान 39 पेटी पेन्टिन शैम्पू, बॉडी लोशन, पॉडस व लक्स साबुन व घटना प्रयुक्त टैम्पू मैजिक नं0 यूपी 15 ए0टी0 3992 व चार अदद चाकू नाजायज बरामद किये गये है।

घटना का विवरण:— दिनांक 06.09.19 को पुलिस टीम समय करीब 06.28 बजे रेड मॉल के सामने चैकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दी की करीब 10 दिन पहले किराना मण्डी के एक गोदाम में शैम्पू, बाडी लोशन व साबुन आदि एक गाडी में चोरी कर ले गये थे। वही लोग आज सभी सामान को मेरठ से दिल्ली में बेचने हेतु आ रहे है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा साईं उपवन पर टैम्पू को घेर घोटकर एव आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए भागने का मौका दिये बगैर चारो अभियुक्तो को समय करीब 09.05 बजे पकड लिय पकडे गये अभियुक्तो से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो 1. बिलाल खॉ उर्फ बब्लू पुत्र शरीफ खान नि0 म0नं0 127 मौ0 भोमीबाडा बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर मेरठ, 2. फ़ैसल पुत्र खलिल नि0 कोठी नं0 77 जामुन मौहल्ला थाना लाल कुर्ती जनपद मेरठ, 3. आसिफ पुत्र राषिद नि0 गली नं0 8 मौ0 तायपुरी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ, 4. आदिल पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 8 मौहल्ला तारपुरी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ बताया घटना प्रयुक्त टैम्पू से मु0अ0सं0 635/19 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित सामान 19 पेटी पोन्डस बाडी लोषन तथा 17 पेटीमें पेन्टिन शैम्पू तथा 03 पेटी लैस साबुन के सैट तथा चार अदद नाजायज चाकू बरामद किये गये इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 647/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 648/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 649/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 650/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 635/19 धारा 380 भादवि में धारा 411 भादवि बढौत्तरी की गयी है।

अपराध करने का तरीका:— अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उन्होने दिनांक 28.08.19 को किराना मण्डी में स्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोर के गोदाम में सेध लगागर तथा गोदाम के आगे मेजिक खडीकर के गोदाम का सामान चोरी किया तथा जिसे हम आज दिल्ली में बेचने जा रहे थे।

नोट— अभियुक्त बिलाल उर्फ बब्लू उपरोक्त स्टोर से सामान खरीदा कर ताथा उसने रैकी करके अपने साथियो के साथ मिलकर उक्त घटना को कारित किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:—

1—बिलाल खॉउर्फबब्लूपुत्र शरीफखान नि0 म0नं0 127 मौ0 भोमीबाडा बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर मेरठ।

2—फ़ैसल पुत्र खलिल नि0 कोठी नं0 77 जामुन मौहल्ला थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ।

3—आसिफ पुत्र राषिद नि0 गली नं0 8 मौहल्ला तारापुरी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

4—आदिल पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 8 मौहल्ला तारापुरी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी:—

1— 19 पेटी पोन्डस बॉडी लोशन।

2— 17 पेटी पेन्टिन शैम्पू।

- 3- 3 पेटी लक्स साबुन ।
- 4- चार अदद नाजायज चाकू ।
- 5- घटना में प्रयुक्त टैम्पू मैजिक नं० यूपी 15 एटी 3992 ।

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 635 / 19 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली नगर गा०बाद ।
- 2- मु०अ०सं० 647 / 19 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा०बाद ।
- 3- मु०अ०सं० 648 / 19 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा०बाद ।
- 4- मु०अ०सं० 649 / 19 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा०बाद ।
- 5- मु०अ०सं० 650 / 19 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा०बाद ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 25 हजार का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार , कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस नाजायज व लूट के 1600/-रु

बरामद :- दि० 05.09.19 को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में पीली विल्डिंग आरएमएस विल्डिंगके पास ट्रोनिकासिटी में पैशन प्रो मो०सा० सवार दो बदमाशो द्वारा वादी श्री इरफान पुत्र मौसम अली नि० दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा०वाद से तमन्चा दिखाकर पर्स लूटकर भागे जिसमे 1600/- रु थे जिसकी सूचना वादी द्वारा 100 नम्बर पर दी गयी । लूट की मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा मय हमराह फोर्स के लुटेरों की घेरा बन्दी व तलाश की गयी तो समय 22.15 बजे जैन कालोनी के रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी के दौरान बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी द्वारा आत्म रक्षार्थ न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग करते हुए फायरिंग की गयी तो फायरिंग से एक बदमाश के गोली लग गयी तथा दूसरा साथी अंधेरे व झाडियों का फायदा उठाकर भाग गया । घायल बदमाश से पूछताछ की गयी तो इसने अपना नाम दिलवर उर्फ जावेद पुत्र इरसाद नि० 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गा०वाद बताया तथा भागे बदमाश का नाम सोहेलउर्फगेडा पुत्र फारूख नि० अशोक विहार थाना लोनी गा०वाद बताया । घायल बदमाश की जामा तलाशी से एक तमन्चा 315 बोर व एक खोखा कार० व दो जिन्दा कार० लूट के 1600/- रु नगद व पर्स वरामद हुआ । पर्स में वादी के डीएल के फोटो कांपी व दो विजिटिंग कार्ड भी वरामद हुए । घायल **बदमाश दिलवर उर्फ जावेद उपरोक्त थाना हाजा पर**

पंजीकृत मु०अ०सं० 426/19 धारा 392/411 भादवि व 428/19 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था जिसके ऊपर 25000/- रु का इनाम घोषित था । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अन्तर्राज्जीय लुटेरा अपराधी है जो एनसीआर क्षेत्रमे लूटजैसे अपराध कारित करता है । जिसके विरुद्ध अन्य थानों पर पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है घायल अभियुक्त सरकारी अस्पताल गा०वाद में भर्ती है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- दिलवर उर्फ जावेद पुत्र इरसाद नि० 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गा०वाद

बरामदगी का विवरण-

1- एक तमन्चा 315 बोर व 2 कारतूस जिन्दा व 01 खोखा कारतूस नाजायज

2- लूट के 1600/- रू नगद व पर्स व आईडी वरामद ।

आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 426/19 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद
- 2- मु0अ0सं0 428/19 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद
- 3- मु0अ0सं0 556/19 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद
- 4- मु0अ0सं0 557/19 धारा 307 भादवि पु0 मु0 थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद
- 5- मु0अ0सं0 558/19 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद

दिनांक 03.09.19 को कोर्ट परिसर गाजियाबाद में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त श्रीराम उर्फ छोटू मय 01 तंमचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व हथकड़ी सहित गिरफ्तार:— थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 03.09.2019 को कोर्ट परिसर गाजियाबाद में पुलिस अभिरक्षा से फरार अपराधी श्रीराम उर्फ छोटू को दिनांक 05.09.2019 को समय करीब 19.25 बजे गरिमांजलि स्कूल के पास भौपुरा रोड पर गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर मय 02 कारतूस व हथकड़ी सहित बरामद करने में सफलता प्राप्त की हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

1. श्रीराम उर्फ छोटू पुत्र वासुदेव गिरि नि0 काव्या सिटी फेज-3 चिरोडी से खडखडी रोड पर लोनी गा0बाद ।

अभियुक्तों के अपराध का विवरण:-

दिनांक 03.09.2019 को अभियुक्त श्रीराम उर्फ छोटू उपरोक्त को थाना साहिबाबाद से जनपद न्यायालय गाजियाबाद बाद मेडीकल पेश करने हेतु हे0का0 26 भगवान शर्मा, हे0का0 666 अजेन्द्र सिंह, हो0गा0 अशोक कुमार को भेजा गया था। अभियुक्त श्रीराम उर्फ छोटू कोर्ट परिसर गाजियाबाद से मौका पाकर मय हथकड़ी के फरार हो गया था। उक्त अभियुक्त को दिनांक 05.09.2019 को समय करीब 19.25 बजे गरिमांजलि स्कूल भौपुरा रोड से से मय हथकड़ी गिरफ्तार किया गया हैं। अभि0 शातिर किस्त का अपराधी हैं।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. 01 तंमचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस
2. 01 हथकड़ी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 1866/19 धारा 4/25 ए एक्ट थाना सा0बाद गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 1867/19 धारा 411/414 भादवि थाना सा0बाद गा0बाद ।
3. मु0अ0सं0 1798/19 धारा 223/224 भादवि थाना कविनगर गा0बाद ।

4. मु0अ0सं0 1904/19 धारा 25/3 ए एक्ट थाना सा0बाद गा0बाद ।

50 पच्चा देशी शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 05.09.19 को समय 23.20 बजे बेहटा पुलिस से अभियुक्त सोनू पुत्र दिनेश निवासी हर्ष विहार थाना हर्ष विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 50 पच्चा अवैध शराब बरामद हुई है |

एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट करने वाले गिरोह का सरगना नशीले पाउडर व असलाह के साथ गिरफ्तार:-

इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 0 6.09.19 की सुबह एक सातिर लूटेरे गिरोह के सरगना को मय असलाह गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रोहित पाल पुत्र कुंवरपाल नि0 म0न0 579 गली न0 2 शुक्र बाजार ग्राम भोवापुर कौशाम्बी इंदिरापुरम गाजियाबाद ।

अभियुक्त का अपराध करने का तरिका- अभि0 सातिर किस्म के गिरोह का सरगना है जो गैंग बनाकर दिल्ली व NCR क्षेत्र में कैश लूटपाट व मोबाईल/चैन स्नैचिंग की घटनाओ को अंजाम देता है। जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में वर्ष 2018 में दिन दहाडे कैश कलक्शन एजेंट को निशाना बनाकर करीब 4 लाख रुपये की लूट की थी। जिसमें रोहित के अन्य साथी गिरफ्तार कर लिये गये थे। रोहित लगातार फरार रहकर अन्य साथियो के साथ मिलकर लूट पाट की घटनाओ को अंजाम देता रहा। बाद में पुलिस द्वारा रोहित को भी गिरफ्तार कर कई लूट की घटनाओ का खुलाशा कर जेल भेजा गया था। अब रोहित जेल से छुट कर अपने नये साथियो के साथ मिलकर घटनाओ को अंजाम देने की फिराक में था। उक्त गैंग के सदस्यो को NCR क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण NCR क्षेत्र लूट पाट की घटना को अंजाम देते हैं तथा आने जाने वाले व्यक्तियो को निशाना बनाकर उनसे कैश/चेन/मोबाइल/पर्स लूट की घटनाओ को अंजाम देते हैं। यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसे असलाह दिखाकर , डराकर भाग जाते हैं। अभि0 के अन्य साथियो व अपराधिक इतिहास व अन्य घटनाओ के संबंध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस
2. 200ग्राम नशीला पाउडर

अभि0 रोहित पाल का अपराधिक इतिहास-

क्र0 स0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1216/18	323 392 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
2	551/18	323,341,506,34 भादवि 25 ए एक्ट	गाजिपुर	दिल्ली
3	505/19	411,414 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
4	94/19	392,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

5	490/19	394,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
6	1304/18	392,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
7	268/17	25 ए एक्ट	पटेल नगर	दिल्ली
8	275/19	392,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
9	238/19	392,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
10	22/18	392,34 भादवि	गाजिपुर	दिल्ली
11	673/19	3/25 ए एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
12	674/19	420,482,414 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
13	1958/19	8/20 NDPS ACT	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
14	1959/19	3/25 ए एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के 03 अभिगण गिरफ्तार:- दिनांक 6.9.19 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को सुबह करीब 06.00 वजे 100 नम्बर द्वारा सूचना मिली थी कि रामपार्क जैन मन्दिर के पीछे एक खाली प्लाट में करीब 38 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा है , उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 559/19 धारा 302 भादवि वनाम 1- कुलदीप 2- टीटू 3- ज्ञानी 4- अंकित समस्त नि0गण जी - व्लाक रामपार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0 बाद पर विवेचना के क्रम में घटनास्थल के आस पास पूछताछ व साक्ष्य संकलन में हत्या के मकशद पर विवेचना आगे बढ़ाते हुए हत्या के अंजाम देने वाले अभिगण 1- गौरव खारी 2 - अंकित 3- पीयूष वर्णवाल को विजय विहार पुस्ता से समय करीब 14.20 वजे गिरफ्तार किया गया । अभिगणों द्वारा उक्त हत्या को मृतक द्वारा दिन के समय में अभिगणों के साथ शराब पीने के समय गाली गलौज हुई थी तथा मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में नामजद अभिगणों के साथ भी मृतक का शराव पीकर शाम के समय वाद विवाद हुआ था जिस कारण अभिगणों ने यह सोचते हुए कि हत्या का आरोप शाम के समय वाद विवाद करने वाले अभिगणों पर हो जायेगा और हम बच जायेंगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- गौरव खारी पुत्र सुरेन्द्र खारी उर्फ लीलू निवासी ग्राम खानपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
- 2 - अंकित पुत्र मन्नू बोसवाल निवासी रामपार्क लाल मन्दिर के पास थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
- 3- पीयूष वर्णवाल पुत्र देवेन्द्र वर्णवाल नि0 रामपार्क नियर सैम्पल हाउस थाना ट्रोनिकासिटी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी- मौहल्ला वाजिदपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0सं0 559/19 धारा 302 भादवि

गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.19 को समय 10.00 बजे अशोक विहार से अभियुक्त साजिद पुत्र बूंदी हसन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी के 227/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित था ।